25.02.17

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव । प्रस्तुत परिवाद पंजीयन आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत परिवाद के माध्यम से एरिवादी द्वारा प्रस्तावित अभियुक्तगण 01 लगायत 05 के विरुद्ध धारा 294, 323, 374, 452, 506 बी मा0द0 वि0 के अधीन दांडिक अपराध का संज्ञान लिए जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसमें घटना दिनांक 08.05.2015 को प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री पिंकी के साथ मारपीट करने, अलमारी से व्यापार के दो लाख रूपए नगद व 10 तौले सोने के जेवरात व चांदी के जेवरात लगमग 01 किलो 400 ग्राम चुरा लिए जाने तथा धमकी दिए जाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत आधार पर थाना गोहद चौराहे में लिखित शिकायत की गई एवं पुलिस अधीक्षक को भी रिजस्टार डाक से सूचना दी Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Ples n

गई थी, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। द०प्र०सं० की धारा 200—202 के अधीन जांच कथन अंकित किए गए। साथ ही थाना गोहद चौराहे से प्रस्तुत परिवाद के संबंध में कोई कार्यवाही की गई हो तो उसका प्रतिवेदन चाहा गया।

थाना गोहद चौराहे की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन में कोई कार्यवाही किए जाने के संबंध में लेख नहीं किया गया, किंतु परिवादी व उसके परिवारजन के विरुद्ध प्रस्तावित अमियुक्तगण की रिपोर्ट से धारा 498ए, 323, 506बी—34 मा0द0वि० का अपराध उक्त कथित दिनांक 08.05.2015 को थाना माधवगंज जिला ग्वालियर में अपराध कमांक 210/15 के रूप में पंजीबद्ध होने के संबंध में तथ्य लेख किये गए हैं।

परिवादी अधिवक्ता को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत परिवाद एवं जांच कथनों में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रस्तावित अभियुक्त कमांक 01 लगायत 04 द्वारा अभिकथित रूप से परिवादी के घर से कौन से जेवरात व कितनी नगदी चोरी की गई। स्वतंत्र साक्षी के रूप में प्रस्तुत गयादीन व राजू द्वारा प्रस्तावित अभियुक्तगण के परिवादी के घर से निकलने पर कोई सामान ले जाने के लिए कोई बैग आदि होना उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तुत परिवाद एवं जांच कथनों के आधार पर साथ ही पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्तगण कमांक 01 लगायत 04 के विरुद्ध मा०द०वि० की धारा 294, 323 का अपराध कारित किए जाने के संबंध में तथ्य प्रथम दृष्ट्या परिलिछत होते हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध मा०द०वि० की धारा 294, 323 के अपराध का संज्ञान लिए जाने का आदेश किया जाता है।

अमियुक्त कमांक 01 लगायत 04 के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किए जाने से दांडिक पंजी में प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए साथ ही सी०आई०एस० पर प्रविष्टी कराई जाए।

तलवाना प्रस्तुत होने पर अभियुक्त कमांक 01 लगायत 04 को जारी समन आहूत् किया जाए।

प्रकरण अमियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 31.03.2017 को पेश

हो।

w Dr

Average Smart